न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 16/2012

प्रार्थी –	*बनाम*	अप्रार्थीगण –
भीखाराम पुत्र अन्नाराम जाति जाट निवासी रामदेव नगर मौखाब तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. सरपंच, ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला 2. श्रीमती अणछीदेवी पत्नी हीराराम जाति जाट निवासी मौखाब खुर्द तहसील जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 2 दिनांक 20.12.2011 जिसके तहत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला द्वारा जारी किया गया।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 17/2012

प्रार्थी –	*बनाम*	अप्रार्थीगण –
श्रीमती हीरादेवी पत्नी खूमाराम जाति जाट निवासी रामदेव नगर मौखाब तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. सरपंच, ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला 2. भूराराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी मौखाब खुर्द तहसील जिला बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा सं. [illegible] दिनांक 20.12.2011 जिसके तहत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला द्वारा जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:33:49 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायत निगरानी/16/2012 भीखाराम बनाम ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला व अन्य
पंचायत निगरानी/17/2012 हीरोदेवी बनाम ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला व अन्य
पंचायत निगरानी/18/2012 सोनीदेवी बनाम ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला व अन्य
पंचायत निगरानी/19/2012 गुमनाराम बनाम ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला व अन्य
पंचायत निगरानी/20/2012 लाधाराम बनाम ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला व अन्य
पंचायत निगरानी/21/2012 भीखाराम बनाम ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला व अन्य

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 18/2012

प्रार्थी – *बनाम* **अप्रार्थीगण –**

श्रीमती सोनीदेवी पत्नी चेनाराम जाति जाट निवासी रामदेव नगर मौखाब तहसील शिव जिला बाड़मेर

1. सरपंच, ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला
2. बांकाराम पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी मौखाब खुर्द तहसील जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 36 दिनांक 05.01.2012 जिसके तहत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला द्वारा जारी किया गया।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 19/2012

प्रार्थी – *बनाम* **अप्रार्थीगण –**

गुमनाराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी रामदेव नगर मौखाब तहसील शिव जिला बाड़मेर

1. सरपंच, ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला
2. तुलसाराम पुत्र असलाराम जाति जाट निवासी मौखाब खुर्द तहसील जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 33 दिनांक 05.01.2012 जिसके तहत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला द्वारा जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:33:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 20/2012

प्रार्थी –	*बनाम*	अप्रार्थीगण –
लाधाराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी रामदेव नगर मौखाब तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. सरपंच, ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला 2. श्रीमती दलूदेवी पत्नी चेतनराम जाति जाट निवासी मौखाब खुर्द तहसील जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 37 दिनांक 05.01.2012 जिसके तहत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला द्वारा जारी किया गया।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 21/2012

प्रार्थी –	*बनाम*	अप्रार्थीगण –
भीखाराम पुत्र अन्नाराम जाति जाट निवासी रामदेव नगर मौखाब तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. सरपंच, ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला 2. जेठाराम पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी मौखाब खुर्द तहसील जिला बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 34 दिनांक 05.01.2012 जिसके तहत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला द्वारा जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:33:49 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :– उक्त छः ही निगरानी प्रार्थना पत्रों में–
1. श्री करनराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री हुकमसिंह चौधरी अधिवक्ता निगरानी संख्या 16/2012 एवं 17/2012 में अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार चौधरी अधिवक्ता निगरानी संख्या 18/2012 से 21/2012 में अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थी सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायत निगरानी/16/2012 भीखाराम बनाम ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला व अन्य
पंचायत निगरानी/17/2012 हीरोदेवी बनाम ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला व अन्य
पंचायत निगरानी/18/2012 सोनीदेवी बनाम ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला व अन्य
पंचायत निगरानी/19/2012 गुमनाराम बनाम ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला व अन्य
पंचायत निगरानी/20/2012 लाधाराम बनाम ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला व अन्य
पंचायत निगरानी/21/2012 भीखाराम बनाम ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला व अन्य

निर्णय

दिनांक : 15.11.2022

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त छः ही निगरानी प्रार्थना–पत्रों में समान पक्षकार एवं समान विषयवस्तु होने से छः ही निगरानी प्रार्थना–पत्रों का एक संयुक्त निर्णय के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्रों के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत मौखाब कल्लां द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम मौखाब कल्लां में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 1, 2, 33, 34, 36 एवं 37 दिनांक 20.12.2011 एवं 05.01.2012 जारी किये गये। इन पट्टा विलेखों को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टों की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त छः अलग–अलग निगरानी प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।
3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत मौखाब कल्लां का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा नि[illegible] है कि प्रार्थी ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला के खसर[illegible] में पुराने कब्जाशुदा आवासीय भूखण्ड पर करीब 20 वर्षों से [illegible]च्चा मकान बनाकर रह रहे हैं। उक्त आवासीय भूखण्ड के विनियमतीकरण के लिए प्रार्थी ने अपने पुश्तैनी भूखण्ड का नियमानुसार पट्टा जारी कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:33:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा पृष्ठांकन तारीख 20.10.2011 अंकित की तथा हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर आवेदन स्वीकार किया। तत्पश्चात मौका निरीक्षण हेतु पंचों की कमेटी नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की। उक्त मौका रिपोर्ट में निगरानीकर्ता का मौके पर 20 वर्षों से कब्जा होना स्वीकार किया गया तथा प्रार्थी का कच्चा मकान होना पाया गया। इस पर सरपंच मौखाब कल्ला द्वारा आलौच्य भूखण्ड के पड़ौसियों के बयान लेखबद्ध कर आपत्तियां आमंत्रित की गई। प्रार्थी को पट्टा जारी नहीं करने की कोई आपत्ति नहीं आने पर पटवारी हल्का से आबादी भूमि का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला ने प्रार्थी को पट्टा जारी करने की आदेशिका जारी की। इसके बावजूद प्रार्थी को पट्टा जारी नहीं किया जाकर पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया जो निरस्त योग्य है।

5. अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा जारी करने में कानूनी एवं वाकयाती भूल की है। उक्त पट्टा जारी करने में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भूमि के विनियमितीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर किसी प्रकार का पृष्ठांकन नहीं किया गया है जिससे अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने का आवेदन पेश करना संदेहास्पद प्रतीत होता है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 का कोई कच्चा–पक्का मकान नहीं बना हुआ है। आलौच्य पट्टे में विवादित भूखण्ड का जो पड़ौस दर्ज किया गया है वह भी गलत है। ग्राम पंचायत की पत्रावली पर दर्ज किये गये बयानात [illegible] भी प्रिंटेड फॉर्म में है, जो मात्र औपचारिकता पूरी [illegible] फॉर्म में नाम लिखे गये हैं जो किसी तीसरी शक्ति द्वारा उक्त कार्यवाही अमल में लाई जाना एवं अप्रार्थी संख्या 1 तथा 2 की मिलीभगत प्रकट करते हैं। पत्रावली में जारी आपत्ति नोटिस प्रकाशित अथवा चस्पा किये जाने का कोई उल्लेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:33:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

नहीं है और न ही आलौच्य पट्टा जारी किये जाने का प्रस्ताव अंकित किया गया है। मौके पर निगरानीकर्ता का पुराना कच्चा मकान था जो पिछली बाढ़ में ध्वस्त हो गया था। उक्त ध्वस्त हुए मकान के भूखण्ड को हटाकर नया निर्माण प्रारम्भ करने पर ही प्रार्थी को सर्वप्रथम आलौच्य पट्टे के गलत होने की जानकारी हुई। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह छः ही निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला द्वारा जारी किये गये आलौच्य छः पट्टे निरस्त किये जावें।

6. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 का पुराने समय से कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 20.10.2011 को आलौच्य पट्टा जारी करने का आवेदन सरपंच ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला के समक्ष पेश किया था जिस पर ग्राम पंचातय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर पत्रावली में गवाहान के बयान पंचायत में उपलब्ध कागजात पर लिये जाकर ग्राम पंचायत की मीटिंग में ग्राम सेवक एवं वार्ड पंचों की सर्वसम्मति से आलौच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्ति आमंत्रित करने का नोटिस अखबार में दिनांक 10.11.2011 को साया किया गया है जिसमें नियमों की किसी प्रकार की अवहेलना नहीं की गई है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह भी प्रकट किया कि वादग्रस्त भूखण्ड का जारी आलौच्य पट्टा उप पंजीयक कार्यालय शिव में रजिस्टर्ड किया गया है। इस प्रकार जारी उक्त पट्टे ने रजिस्टर्ड दस्तावेज का रूप ले लिया है। लिहाजा आलौच्य पट्टे को [illegible] करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। अतः ग्राम पंचायत मौखाब कल्ला द्वारा जारी आलौच्य पट्टा बहाल रखे जाने योग्य है। लिहाजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:33:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत छः निगरानी प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज किये जावें।

7. हमने हस्तगत पत्रावलियों का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। हस्तगत प्रकरणों में ग्राम पंचायत मौखाब कला से प्राप्त रेकर्ड के अवलोकन से पाया जाता हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की आबादी भूमि का अप्रार्थीगण के आवेदन पर आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन किया गया हैं। इस हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र प्राप्त कर भूखण्ड की मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की गई हैं तथा सार्वजनिक आपत्तियों के आमंत्रण उपरांत पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए आलौच्य विक्रय विलेख जारी करने का निर्णय लिया गया हैं। उक्त निर्णय के अनुसरण में आवेदनकर्तागण द्वारा नियत शुल्क जमा करने पर निगरानी अधीन विक्रय विलेख जारी किये गये हैं। प्रार्थीगण का कथन हैं कि विवादित भूमि पर उनका पुराना कब्जा हैं तथा उनकी ओर से ग्राम पंचायत के समक्ष नियमन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद प्रार्थीगण के पक्ष में नियमन नहीं किया गया हैं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के अवलोकन से निगरानी अधीन प्रकरणों में प्रार्थी की ओर से इस आशय का कोई उजर–ऐतराज प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता हैं। ऐसे में यदि प्रार्थीगण को आलौच्य प्रकरणों के सम्बन्ध में कोई एतराज हैं तो सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रण के समय उजरदारी प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। अप्रार्थी सं. 2 को आलौच्य पट्टा जारी करने का आवेदन सरपंच ग्राम पंचायत [illegible] के समक्ष पेश किया था जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर पत्रावली में गवाहान के बयान पंचायत में उपलब्ध कागजात पर लिये जाकर ग्राम पंचायत की मीटिंग में ग्राम सेवक एवं वार्ड पंचों की सर्वसम्मति से आलौच्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:33:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्ति आमंत्रित करने का नोटिस अखबार में दिनांक 10.11.2011 को साया किया गया है जिसमें नियमों की किसी प्रकार की अवहेलना नहीं की गई है। वादग्रस्त भूखण्ड का जारी आलौच्य पट्टा उप पंजीयक कार्यालय शिव में रजिस्टर्ड किया गया है। इस प्रकार जारी उक्त पट्टे ने रजिस्टर्ड दस्तावेज का रूप ले लिया है। लिहाजा आलौच्य पट्टे को निगरानी के मार्फत रद्द करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के आलौच्य अभिलेख का अवलोकन करने से प्रथमदृष्ट्या किसी प्रकार की अनियमितता प्रकट नहीं होती हैं, इसके बावजूद भी प्रार्थी यदि इस भूमि में अपना हक–हिस्सा होना मानता हैं तो सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र हैं। निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों में उक्त पट्टा विलेखों के जारी करने में ऐसी कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता का उल्लेख नहीं किया हैं। इस प्रकार हस्तगत प्रकरणों में आलौच्य पट्टे जारी करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि, प्रक्रियात्मक अनियमितता अथवा अपूर्णता परिलक्षित नहीं हो रही हैं। अतः उपर्युक्त ऑब्जर्वेशन के मध्यनजर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त समस्त निगरानी प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 15.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:33:49 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर